

।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

प्रकरण संख्या – अपील 08/2018

अपीलान्त	बनाम	अप्रार्थी
हबीब खां पुत्र सुराब खां जाति मुसलमान निवासी मसूरिया तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर		उप तहसीलदार फलसूण्ड तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रकरण संख्या 105/2017 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2018 जो उप तहसीलदार, फलसूण्ड द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित:

1. श्री अब्दुल रहमान मेहर अधिवक्ता अपीलान्त
2. तहसीलदार जैसलमेर पैरोकार राज



निर्णय

दिनांक 31-05-2019

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि, पटवारी, राजमथाई के प्रतिवेदन कि अपीलार्थी ने संवत् 2074 में ग्राम मसूरिया के खसरा नम्बर 273 के कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा किस्म गैर मूमकिन आगोर में से 3 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर मूंग की काश्त की है और यह कि अपीलार्थी अतिक्रमी का गत वर्ष भी अतिक्रमण था, उप तहसीलदार, फलसूण्ड द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 105/2017 दर्ज कर अपीलार्थी अतिक्रमी को तलब किया गया। अपीलार्थी अतिक्रमी द्वारा उपस्थित होकर अपने कथन में उक्त खसरा नम्बर 273 में 3 बीघा भूमि पर मूंग की अवैध काश्त कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया, जिस पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.02.2018 द्वारा अपीलार्थी को आदतन अतिक्रमी मानकर 3 माह की सिविल जेल व वार्षिक लगान 0.24 के 50 गुणा लगान रु. 12/- का जुर्माना अदा करने के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय गैर हाजरी में किया गया है जबकि अपीलार्थी को नोटिस ही नहीं दिया गया व नोटिस तामीली बमिलावट असत्य दर्शाई गई है। अपीलार्थी का कथन रहा कि प्रश्नगत भूमि से लगती हुई उसकी खातेदारी भूमि है व सीमाज्ञान के अभाव में यदि काश्त हुई है तो वह अतिक्रमण सआशय नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी का आगे कथन है कि प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन आगोर वर्णित की गई है, जिसके लिये उक्त अधिनियम की धारा 91 (6) की प्रक्रिया है, जिसे अपनाये बिना विधिक प्रवधानो की अनदेखी कर निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में हल्का पटवारी के बयान लिये बिना उसकी रिपोर्ट पर ही निर्णय पारित किया गया है, जबकि कब्जा छोडा जा चुका है, कब्जा छोडने से धारा 91 का जुर्म नही बनता है, ऐसा नोटिस दिये बिना, जांच किये बिना रिपोर्ट मंगवाये बिना एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, जिसे अपास्त करने का अनुरोध किया गया है। समयावधि के बिन्दु पर धारा 5 समयावधि अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलान्त अपीलार्थी प्रार्थी ने कथन किया है कि उसे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.02.2018 की जानकारी उसे दिनांक 16.05.2018 को गिरफ्तार करने पर हुई, तब उसकी नकल लेकर दिनांक 18.05.2018 को अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में कारित विलम्ब को क्षम्य कर अपील समयावधि में शुमार करने की प्रार्थना की गई।

अपील अपीलार्थी के विचाराधीन रहते हुये अपीलार्थी प्रार्थी के आवेदन पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.05.2018 द्वारा उसे जमानत मुचलके पर कारागार से रिहा करना निर्दिष्ट किया गया।


जिला कलक्टर
जैसलमेर

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। समयावधि के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन रहा कि अपीलाधीन निर्णय अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया, जिससे उसे इसकी जानकारी दिनांक 16.05.2018 को उसे गिरफ्तार करने पर हुई जिस पर निर्णय जेर अपील की नकल प्राप्त कर दिनांक 18.05.2018 को अपील प्रस्तुत कर दी। उनका तर्क रहा कि जानकारी से 30 दिवस की समयावधि में अपील प्रस्तुत की गई है। अतः कारित विलम्ब का शमन कर अपील समयावधि में शुमार की जाय। परोकार राज ने अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं होने का तर्क प्रस्तुत किया। न्यायहित में अपील प्रस्तुतीकरण में विलम्ब क्षम्य करते हुए अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना तय किया गया।

गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्क में अपील में किये कथनों को दोहराते हुए प्रस्तुत किया कि गैर मुमकिन आगोर (तालाब पेटा) है जिस पर अतिक्रमण की स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा 91 (6) की प्रक्रिया से आवरित (कवर) होती है, जबकि उप तहसीलदार, फलसूण्ड ने उक्त अधिनियम की धारा 91 (2) के अन्तर्गत कवर मानकर कार्यवाही की है जो गलत है। उनका तर्क रहा कि जनरल भूमि के लिये विशिष्ट प्रावधान अभिभावी (Prevail) होते हैं। प्रश्नगत भूमि के लगते अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है और सीमाज्ञान उसे करवाना चाहिये था। उनका तर्क रहा कि परवर्ती अतिक्रमी को ही सजा दी जा सकती है, जबकि परवर्ती अतिक्रमण का कोई अभिलेख नहीं है तथा हल्का पटवारी के बयान भी अभिलिखित नहीं किये गये हैं। सीमाज्ञान के सम्बन्ध में 1995 DNJ (SC) 208—राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती पदमावती देवी के कायम मुकाम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.04.1995 एवं पुनरावृत्त (Repeated) अतिक्रमण के सम्बन्ध में 1980 RRD 27 दीपा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 10.09.1979 के न्याय निर्णयों के दृष्टान्त अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रस्तुत किये उनका तर्क रहा कि उप तहसीलदार की कार्यवाही गलत है। अतः अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाय। परोकार राज का तर्क रहा कि अपीलार्थी अतिक्रमी द्वारा कभी भी सीमाज्ञान के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी परवर्ती (Subsqudent) अतिक्रमी होना अभिलेख से स्पष्ट प्रमाणित है। अपीलार्थी अतिक्रमी ने प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध काश्त करना स्वयं स्वीकार किया है, जो अभिलेख पर है। उनका आगे तर्क रहा कि प्रश्नगत प्रकरण में उक्त अधिनियम की धारा 91 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है, जो सही व विधि सम्मत है। उन्होंने अपील अपीलार्थी पोषणीय नहीं होने से अपास्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व अभिलेख का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। उप तहसीलदार फलसूण्ड की प्रश्नगत आदेशिका का ध्यानपूर्वक पठन एवं अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण कर अवैध काश्त करना अभिलेख से प्रमाणित ठहरता है। साथ ही अपीलार्थी आदतन अतिक्रमी रहना पाया जाता है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान इस संबंध में तर्क दिया है कि प्रकरण उक्त अधिनियम की धारा 91(6) में कवर होता है जबकि उप तहसीलदार फलसूण्ड द्वारा प्रकरण धारा 91(2) में कवर किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का अध्ययन किए जाने के पश्चात यह न्यायालय अधिवक्ता अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्क से सहमत नहीं है व उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क ग्राह्य नहीं ठहरता है। न्यायालय उप तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा प्रकरण में धारा 91(2) में की गयी कार्यवाही उचित प्रतीत होती है। समग्र विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार फलसूण्ड का आदेश दिनांक 20.02.2018 न्यायोचित एवं विधि सम्मत ठहरता है। अतएव अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर उप तहसीलदार फलसूण्ड का आदेश दिनांक 20.02.2018 यथावत रखा जाता है। उभय पक्ष अपना अपना व्यय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 31-05-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(नमित मेहता)
31/5/19
जिला कलक्टर
जयपुर